Lyceum India Journal of Social Sciences || ISSN (Online): 3048-6513
Volume: 3 Issue: 7 || May 2026 || DOI: 10.5281/zenodo.20391264

जी. एस. टी सुधार एवं सतत् विकास पर प्रभाव

डॉ. संजू[1]

सारांश:

जी.एस.टी. भारत में एक प्रकार का सुव्यवस्थित और पारदर्शी संरचना है जिसके तहत् भारत देश सतत् विकास को बढ़ावा देता है। इसके माध्यम से नवीन तकनीकों के साथ उसे उपयोग में लाकर देश के प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर देश की प्रगति को बढ़ा सकता है, जिससे देश के मानव जीवन में अधिक बदलाव कर उनकी आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक स्तर पर सुधार किया जा सकता है, देश में जी.एस.टी. यानि वस्तु सेवा कर का सतत् विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें देश एक कर के माध्यम से कर को सरल व पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया व देश की सरकार ने जी.एस.टी. के माध्यम से आम जनता से लेकर व्यापार एवं एवं वाणिज्य के साथ-साथ देश के सम्पूर्ण क्षेत्र को जी.एस.टी से जोड़कर विकास को बढ़ावा दे रहा है। भारत में प्रथम बार वर्ष 2000 में यह विचार को प्रस्तुत श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा किया गयाए साथ ही डाॅ. विजय केलकर ने जी.एस.टी. के माॅडल में सुधार किया। जी.एस.टी. के लिए एक जी.एस.टी. परिषद बनाया गया यह परिषद जी.एस.टी. से जुड़ी भिन्न-भिन्न प्रकार के नियम में संशोधन के लिए एक प्रमुख समिती है । विश्व में जी.एस.टी. की शुरूआत 1954 में फ्रास देश में हुआ था भारत मे पहली बार जी.एस.टी. परिषद के अध्यक्ष श्री अरूण जेटली जी को बनाया गया था। भारत में जी.एस.टी. 20 अप्रैल 2017 में केन्द्रिय विधेयक लोकसभा व राज्यसभा में पारित कि गई, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गयाए भारतीय संविधान में संशोधन 101वी कर किया गयाए व देश के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी एवं पी.एम. श्री नरेद्र मोदी ने 1 जुलाई को दिल्ली के संसद भवन के सेट्रल हाल में इसका शुभारंभ कियाए भारत में असम राज्य में पहली बार लागू किया भारत में दोहरी जी.एस.टी. प्रणाली लागू है, जिसका अर्थ है केन्द्र व राज्य सरकार के वस्तु कर वसूलने का अधिकार भारत का एक मात्र राज्य जम्मू कश्मीर जहाँ जी.एस. टी. अधिनियम लागू नहीं हैए जी.एस.टी. भारत में एक जटिल संरचना थी क्याकि केन्द्रिय उत्पादए शुल्कए मूल्यए आदि की समस्या के समाध के लिए इसे लागू कर सम्पूर्ण भारत के नागरिकों के लिए यह प्रारंभ किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्दः- जी एस टी कर, मूल्य, सेवा कर, देश, केन्द्र, राज्य

प्रस्तावना – जी.एस.टी. गुड्स सर्विस टैक्स के नाम से प्रख्यात यह एक कर लगाने का जरिया है, सरकार का यह कर वस्तुव सेवा की पूर्ति पर जगाया जाने वाला अपत्यक्ष कर है जिसे एक ही कानून के तरह लगाया जाता है इससे विक्रय के हर प्वाइंट पर कर लगाया जाता है। यह 1954 में प्रथम वार फ्रास देश में टैक्स व्यवस्था के रूप में लाया

[1] *ई. मेल: sanju281017@gmail.com*

गया बाद में सभी देशों के इसे स्वीकार किया जी.एस.टी. कानून की शुरूआत को सरल बनाने के लिए संविधान में संशोधन बिल लगाकार पारित किया गया व 2017 में लागू हो गया। जी.एस.टी. सम्पूर्ण भारत का एक सिंगल एकल व स्वतंत्र कानून है जी.एस.टी. 101वी संविधान संशोधन से लागू हुआ जी.एस.टी. के विभिन प्रकार है, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर केन्द्र शासित प्रदेश माल एवं सेवा कर एकीकृत माल एवं सेवा कर के रूप में लगाया जाता है। भारत का सबसे बढ़ा व महत्वपूर्ण कर के रूप में जी.एस.टी. का उपयोग किया जाता है विनिर्माण व उत्पादन के खर्च को कमी लाने व देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी करने में सहायक है, साथ ही राज्यों में वैट की दर के लिए नियम अलग–अलग बनाए गए है, इसके माध्यम से मानक स्टैन्डर्ड का के नियम को संचालित कर व्यापार व व्यवसया की एक विस्तार श्रृखला को मिलाया गया। भारत में सभी सेवा और वस्तु को समान रूप विक्रय करने में सरल व आसान हो गया है, जी.एस.टी. के कानून को बनाकर सरकार ने आम जनता व व्यापारियों को राहत देने का कार्य किया है जिसके माध्यम से सरलता से भिन्न–भिन्न तरह के करों को एक में समाहिंत का पारदशिता को बढ़ावा मिला व उत्पादन के अलग–अलग चरणों में लगे कर की प्रतिपूर्ति हेतु अंतिम उपभोगता के उपर बोझ को मक किया जा रहा। एवं व्यापार के क्षेत्र में लेने देने लागत घटाकर व्यापार, उद्योग के प्रतिस्पर्धा में कमी लायी जा रही है, साथ ही भारतीय वस्तुओं और सेवा को अंतराष्ट्रीय बाजर में बढ़ते तुलना में बढ़ोतरी को बढ़ावा दिया जा रहा है पूरे विश्व में कर दर और की एकरूप के अनुपालन व लागत घटाने की प्रक्रिया का शुभांरभ हुआ, साथ ही सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के तरह कार्य करने वाले एजेंसी संस्था प्रमुख व उससे जुड़ी समस्था को चोरी या धोखाघड़ी की जांच कर इसे केन्द्रिय उत्पाद शुल्क के रूप में लया जाता है। नियमों के उल्लघंन पर कानूनी कार्यवाही कर सरकार की नीति में सुधारात्मक सुझाव के साथ–साथ कर प्रशासन के पारदर्शिता व प्रभाव बनाए रखने पर भी अधिक व महत्वपूर्ण जोर दिया जाता है, यह एक प्रकार का परिवर्तन है, केन्द्र व राज्य के बीच कार्य करने व शुल्क उत्पाद के प्रयोग में निष्पक्षता उत्पन्न करने के अलावा आर्थिक स्थिति के पृथक कराधान के लिए भी आवश्यक है, इसमें वस्तु व सेवा के मूल्यों का विभाजन करना पड़ता है जिससे जटिलताएँ समाप्त हो और कार्य का क्रियान्वयन व अनुपालन लागते बढ़ जाती है।

उददेश्य :–

- कर के दोहराव को समाप्त करना।
- सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर का मिश्रण करना ।
- देश की जी डी पी रेशियो रेवेन्यू को बढ़ाना।
- भ्रष्टाचार को रोकना व चोरी में कमी करना।
- कर के अनुपात को बढ़ाना।
- देश के कुल उत्पादकता को बढ़ावा देना।

शोध प्रविधी – शोध प्रविधी – इस प्रविधी में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत का मिश्रण कर कार्य किया गया है।

प्राथमिक – ऐतिहासिक कानुनी दस्तावेज साख्यिकी डाटा का प्रयोग किया गया है।

द्वितीयक – शासकीय प्रतिवेदन

सतत् विकास का अर्थ :– देश के एस, डी, जी, में सुधार कर सतत् विकास किया जा सकता है, 17 गोल के जिसमे विकास की बात कही गई एक निश्चित समय लक्ष्य प्राप्ति के लिये निर्धारित किया गया है, उनके पूर्ण होने व निरंतर विकास के लिए जी.एस.टी में प्रमुख भूमिका अदा करता है ,जिसमें सबसे प्रमुख सामाजिक आर्थिक व पर्यावरणीय क्षेत्र में सुधार कर कार्य करता है। मानव जीवन के विकास के अधूरे लक्ष्यों को पुर्ण कर एक संगठित विकास करने की प्राकृतिक संसाधनों और स्थितियों की तंत्र सेवाएँ देने वाली क्षमता को बनाए रखने पर

जोर देकर आर्थिक विकास कर पर्यावरण व सामाजिक समानता के बीच मधूर संबंध की खोज कर संधारणीय विकास की नीव रखी जाती है। जिसमें भविष्य की नई आने वाली पीढी की अपनी आवश्यकताएँ पूर्ण करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान परिस्थिति की आवश्यकता को पूर्ण करें। सत्त विकास आर्थिक विकास करने का वह जरिया है जिसमे प्राकृति की सहन शक्ति के साथ – साथ मनुष्य द्वारा उसे सहेजने की क्षमता पर निर्भर करती है।

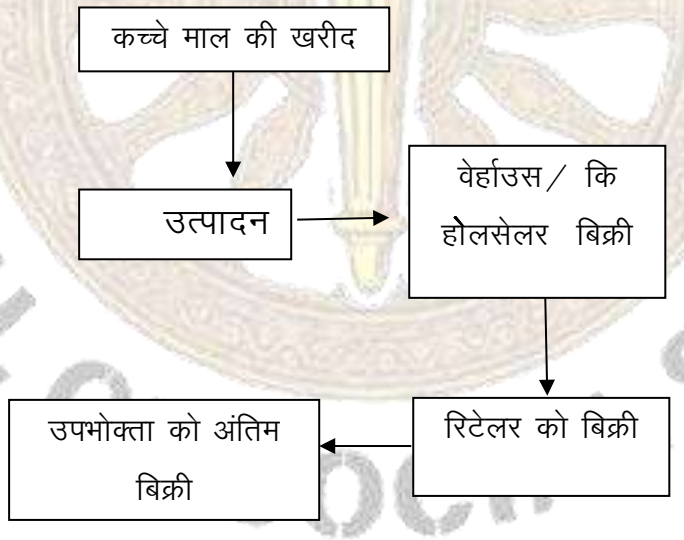

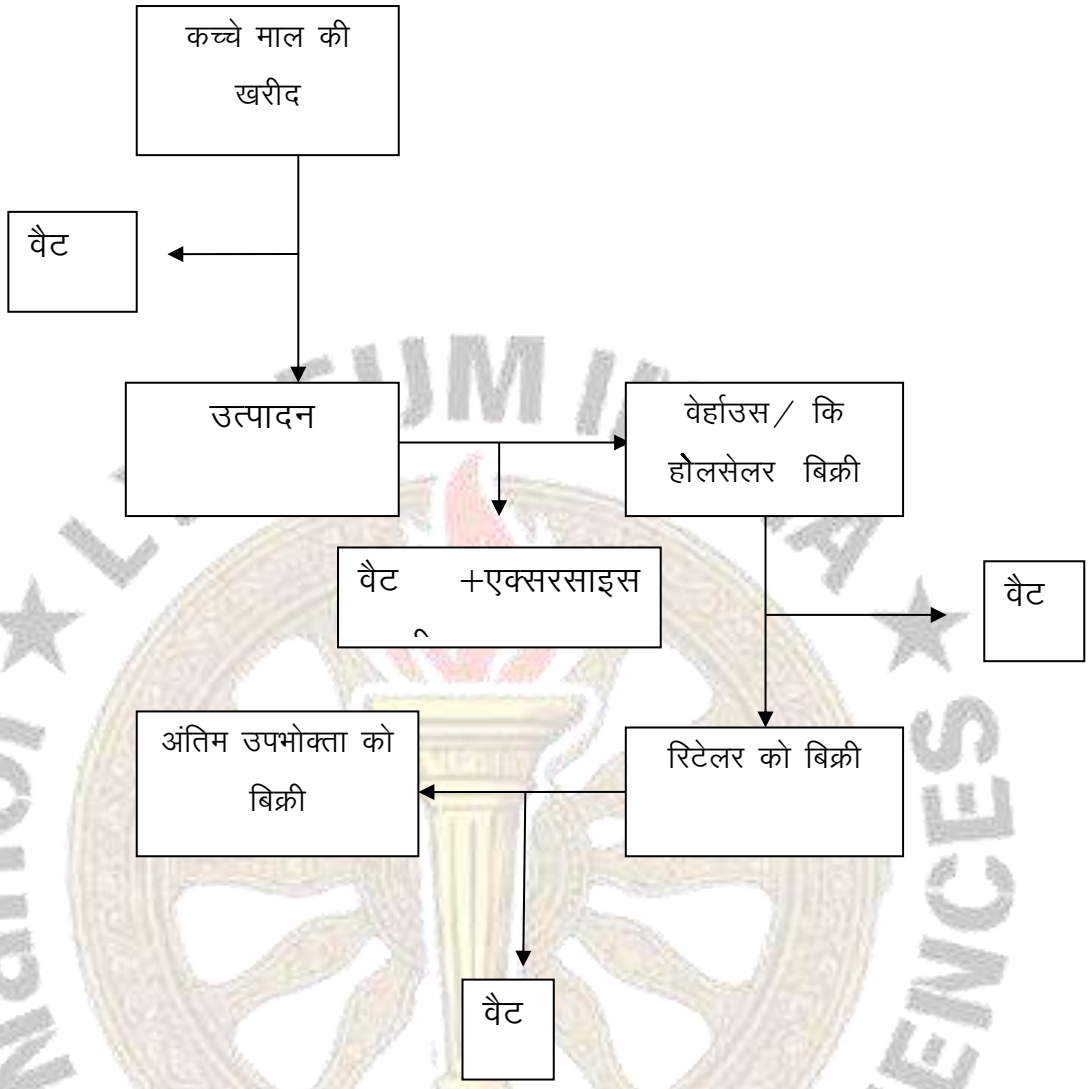

जीए स टी के प्रमुख अवयव :–

1.CGST- Centeral good and services tax (राज्य के अंदर विकय पर केन्द्र द्वारा लिया गया कर)

2.SGST- State good and services tax (राज्य के भीतर विकय पर राज्य द्वारा लिया गया कर)

3.IGST- Intergrated good and services tax (ए क राज्य से दूसरे राज्य पर विकय पर केन्द्र द्वारा लिया गया कर)

CGST की दरें :–

माल	CGST
आम खाद्य सामान जैसे चाय,नमक,मसाले,चीनी,आदि	2.5%
प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ	6%
इलेक्ट्रानिक सामान	9%
कैपिटल गुड्ज,प्रसाधन सामग्री आदि	14%

SGST की दरें :–

माल	SGST
आम खाद्य सामान जैसे चाय,नमक,मसाले,चीनी,आदि	2.5%
प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ	6%
इलेक्ट्रानिक सामान	9%
कैपिटल गुड्ज,प्रसाधन सामग्री आदि	14%

IGST की दरें :–

माल	IGST
आम खाद्य सामान जैसे चाय,नमक,मसाले,चीनी,आदि	5%
प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ	12%
इलेक्ट्रानिक सामान	18%
कैपिटल गुड्ज,प्रसाधन सामग्री आदि	28%

सतत् विकास के क्षेत्र में जी एस टी का प्रभाव :–

- ❖ प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधनों का उचित उपयोग कर प्रत्येक क्षेत्र में दक्षता प्राप्त कर विकास को बढ़ाना।
- ❖ पर्यावरण के संरक्षण में भिन्न – भिन्न प्रकार के उत्पादो के उपयोग को बढ़ाना।
- ❖ राज्यों का आपस में व्यापार जी एस टी से राज्यों के आपस में उद्योग धंधों को बढ़ावा देना।

❖ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना जिससे आम नागरिको के लिए अवसर उपलब्धता बढ़े व सामाजिक विकास हो।

कार्य	लागत	10%	कुल
कच्चे माल खरीदना 100	100	10	110
उत्पादन 40	150	15	165
मूल्य जोडें 30	195	19.5	214.5
कुल	170	44.5	214.5

स्रोत–https://wikipidya.org

कार्य	लागत	10% कर	वास्तविक देयता	कुल
कच्चे माल खरीदना 100	100	10	10	110
उत्पादन 40	140	14	4	154
मूल्य जोडें 30	170	7	3	187
कुल	170		17	187

स्रोत–https://wikipidya.org

जी एस टी सुधार में उत्पन्न चुनौतियाँ :–

- किसान व छोटे व्यापारीयों – को प्रारंभिक दौर में नई तकनीक कों समझने में समस्या का सामना करना पडा जिससे कठिनाईयाँ हुई।
- आनलाईन तकनीक – डिजिटल जमाने में नई पोर्टल व नई प्रणाली को सुचरू संचालन करने में समस्या का सामना करना पड रहा है
- कर की दर में जटिलता – सामान्य व व्यापारी दोनो तरह के नागरिकों को अलग अलग जी एस टी कर की दर भिन्न भिन्न वस्तु पर लगना यह भी एक समस्या बनी रही ।
- स्वीकारता की लागत – सामान्य व्यापारी से लेकर बडे उद्योग पतियों तक को निरंतर वापसी कर भरना व लेखांकन एक समय तक कठिन व जटिल होता रहा ।

सुधार व सुझाव :–

- अपने देश का विकास हो इस परिदृश्य से देश के विभिन्न सामाग्री पर लगाएँ जा रहे कर से आम नागरिक के हित व लाभ को एक देश में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा लागू किए गये कर सरल व पारदर्शी है जिसके द्वारा दोहरी कर प्रणाली समाप्त हुई व सेवाओं की दरों को संतुलित कर कर की चोरी पर अंकुश लगाया गया इस दौरान देश में कर प्रणाली लागू कर की रचना को सरल बनाना व प्रत्येक प्रकार के कर स्लैब कम कर के बनाना ।
- अनुपालन को सरलता से लागू कर व्यापार में वापसी फाईल को आसान करना ।
- नई प्रणाली के उपयोग को बढ़ाकर भ्रष्टाचार को रोकना ।
- फाईल वापसी प्रक्रिया को सरल व समय में कमी कर कार्यशील बनाना।
- ईधन व बिजली की लागत किमत को कम करना ।

करने में चुनौतियाँ आयी परंन्तु धीरे–धीरे चीजे सुधरने व बदलने लगी।

सदंर्भ ग्रंथ सूची

CA P.H. Mollani, माल और सेवा कर, 2025 साहित्य भवन

Dr. Abdul Krim, R.K. Tyagi, Goods And Sevvice Tax Nep- 2020 साहित्य भवन

Dr. Dhaniram, Surbni, Gupta, Goods and Sevvice Tax kitab mahal publisher

Dr. laichandra, Goods And Sevvice Tax {GST}2022 ठाकुर पब्लिकेशन PVT.LTD

H T tpsvisewices. gst.gov.in

पंकज के सिंह, जी.एस.टी, 2024 Dai mand publicat in

सीए उमेश वर्मा, जी.एस.टी, 2020 साकेत प्रकाशन

सुजय प्रकाश उपाध्ययए, {GST} 2017 राजकुमार प्रकाशन

डॉ. एच.सी. मेहरोत्रा व पी.पी. अग्रवाल, माल और सेवा कर, 2020 साहित्य भवन पब्लिकेशन आना।

डॉ. उत्कर्ष गुप्ता, वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी) 2022 ठाकुर पब्लिकेशन PVT.LTD

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the publisher, editors, or the editorial board.*